न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 184 / 2018 **दायरा दिनांक : 05.09.2018**

उनवान

बिरधीलाल आत्मज किशनलाल, जाति धाकड़, निवासी सुखनेरी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– रमेश आत्मज भंवरलाल, जाति धाकड़, निवासी सुखनेरी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां हाल निवासी पुलिस चौकी के पास छावनी, कोटा

2– बद्रीबाई बेवा भंवरलाल, नाता पत्नी हीरालाल, जाति धाकड, निवासी रानीपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

3– माधोलाल आत्मज किशनलाल, जाति धाकड़, निवासी सुखनेरी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

4– भंवरी बेवा पन्नी, जाति धाकड़, निवासी सुखनेरी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

5– प्रताप आत्मज सालगराम, जाति धाकड़, निवासी सुखनेरी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

6– रामनारायण आत्मज रामचन्द्र, जाति धाकड़

7– मुस0 पारा बेवा रामचन्द्र नाता पत्नी मथुरालाल, जाति धाकड,

निवासीगण पनवाड, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

8– बाला आत्मज नारायण, जाति धाकड़, निवासी सुखनेरी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

9– रामचन्द्र आत्मज जयलाल, जाति धाकड़, निवासी सुखनेरी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

10– भीमराज आत्मज जयलाल, जाति धाकड़, निवासी सुखनेरी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

11– दी स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार छीपाबडोद, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 185/2018 **दायरा दिनांक : 05.09.2018**

उनवान

बिरधीलाल आत्मज किशनलाल, जाति धाकड़, निवासी सुखनेरी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– रमेश आत्मज भंवरलाल, जाति धाकड़, निवासी सुखनेरी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां हाल निवासी पुलिस चौकी के पास छावनी, कोटा

2– बद्रीबाई बेवा भंवरलाल, नाता पत्नी हीरालाल, जाति धाकड, निवासी रानीपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

3– माधोलाल आत्मज किशनलाल, जाति धाकड़, निवासी सुखनेरी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

4– भंवरी बेवा पन्ना, जाति धाकड़, निवासी सुखनेरी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

रमेश बहादुर सिंह पास
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

5– प्रताप आत्मज सालगराम, जाति धाकड़, निवासी सुखनेरी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

6– रामनारायण आत्मज रामचन्द्र, जाति धाकड़

7– मुस0 पारां बेवा रामचन्द्र नाता पत्नी मथुरालाल, जाति धाकड, निवासीगण पनवाड, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

8– बाला आत्मज नारायण, जाति धाकड़, निवासी सुखनेरी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

9– रामचन्द्र आत्मज जयलाल, जाति धाकड़, निवासी सुखनेरी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

10– भीमराज आत्मज जयलाल, जाति धाकड़, निवासी सुखनेरी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

11– दी स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार छीपाबडोद, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री अमृत मीणा अभिभाषक अपीलांट की ओर से

अनुपस्थित श्री रामेश्वर प्रसाद गोयल अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 2 एवं

शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित

निर्णय **दिनांक : 21.11.2022**

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा के प्रकरण संख्या – 32/2001

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 16.08.2001 एवं संशोधित प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.06.2002 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 20.09.2007 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट नं. 1 ने प्रतिवादीगण अपीलांट व रेस्पोडेंट नम्बर 2 लगायत 11 के विरूद्ध एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम सुखनरी में खसरा नम्बर 11 रकबा 10 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 173 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 79 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा भूमि में 1/4 में से 1/3 हिस्सा, ग्राम आंचलपुरा की खसरा नम्बर 3 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा भूमि में 1/3 हिस्सा, ग्राम मालोनी की खसरा नम्बर 252/256 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि में 1/3 हिस्सा तथा ग्राम बिलेन्डी की खसरा नम्बर 365 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 366 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 368 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि में 1/3 हिस्सा वादी का दर्ज है। वादी भंवरलाल जी का पुत्र है। भंवरलाल की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी बद्रीबाई प्रतिवादी नं. 1 का नाम व वादी का नाम दर्ज हुआ। बद्रीबाई भंवरलाल जी की मृत्यु के बाद हीरालाल से नाता विवाह कर लिया और वही निवास कर रही है इस कारण प्रतिवादी रेस्पोडेंट बद्रीबाई का नाम हटाया जाकर वादी के हिस्से की भूमि का विभाजन किया जावे। उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण के सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी के उपस्थित न होने पर एक तरफा कार्यवाही की गई। वर्ष 2000 में दावा अदम हाजरी में खारिज किया गया, जिसे बिना प्रतिवादीगण को सूचना दिये वाद नम्बर पर लेकर पुनः वाद सं. 32/2001 कायम कर प्रतिवादीगण के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही कर दिनांक 16.08.2001 को निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री पारित कर दी। वाद में चाही गयी प्रार्थना के अनुसार वादी के हिस्से का विभाजन न कर गलत रूप से विभाजन कर दिया। निर्णय व

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

प्रारम्भिक डिक्री पारित होने के बाद वादी ने एक प्रार्थना पत्र धारा 152 जा0 दी0 के तहत दिनांक 05.06.2002 अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया जाकर कथन किया कि प्रारम्भिक डिक्री में ग्राम सुखनेरी में 1/16, ग्राम आंचलपुरा में 1/4, ग्राम मालोनी में 1/4 व ग्राम बिलेन्डी में 1/3 हिस्सा गलत दर्ज हो रहा है, इस कारण आवेदन में अंकित अनुसार ग्राम सुखनेरी में 1/8, ग्राम आंचलपुरा में 1/2, ग्राम मालोनी में 1/3 व ग्राम बिलेन्डी में 1/2 हिस्सा दर्ज कर प्राथमिक डिक्री संशोधित की जावे । यहां यह अंकित करना आवश्यक है कि वाद पत्र में अंकित अनुसार हिस्से का अंकन नहीं करवा कर गलत रूप से अंकन करवाया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय संशोधन न कर सरसरी तौर पर संशोधित प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.06.2002 को पारित कर दी जो वाद की सहायता व निर्णय दिनांक 16.08.2001 के विपरीत व गलत है। प्रतिवादी नम्बर 2 अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 16.08.2001 व संशोधित प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 12.06.2002 को पारित कर दी। उक्त संशोधित डिक्री के आधार पर विभाजन प्रस्ताव मंगवा कर दिनांक 23.11.2006 को अन्तिम डिक्री पारित करने के आदेश हुए व दिनांक 20.09.2007 को अन्तिम डिक्री पारित कर दी, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई ।

दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.08.2001 व संशोधित प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 12.06.2002 एवं फाईनल डिक्री दिनांक 20.09.2007 विधि न्याय एवं संचिका में प्राप्त सिद्धी के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट नं. 1 के वाद के निर्णय दिनांक 16.08.2001 के अनुसार व वाद पत्र में चाही गयी प्रार्थना के अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी की गयी किन्तु बाद में धारा 152 जा0 दी0 के अनुसार पेश होने पर निर्णय संशोधित नहीं, संशोधित प्राथमिक डिक्री पारित करने में त्रुटि की है।

टंकणकर्ता

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय ने मौके का निरीक्षण पक्षकारों की उपस्थिति में कराये बिना व कब्जे की रिर्पोट प्राप्त किये बिना ही सरसरी तौर पर गलत रूप से जारी संशोधित प्राथमिक डिक्री के आधार पर विभाजन प्रस्ताव मंगवा कर बिना पक्षकारों को सुने, सरसरी तौर पर प्राथमिक व फाईनल डिक्री जारी करने में कानूनी त्रुटि की है। विभाजन प्रस्ताव व फाईनल डिक्री में यह कहीं अंकित नहीं किया गया है कि वादी को किस दिशा की भूमि प्राप्त होगी केवल बटा खसरा नम्बर अंकित कर फाईनल डिक्री जारी करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि वादी ने वाद पत्र को व निर्णय को संशोधन करवाये बिना ही वाद व निर्णय के विपरीत संशोधित प्राथमिक डिक्री जारी करवा ली, जो अवैध है। वादी ने अपने वाद पत्र में ग्राम सुखनरी में खसरा नम्बर 11 रकबा 10 बीघा 3 बिस्वा व खसरा नम्बर 173 रकबा 5 बिस्वा भूमि व खसरा नम्बर 79 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा भूमि में 1/4 में से 1/3 हिस्सा, ग्राम आंचलपुरा की खसरा नम्बर 3 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा भूमि में 1/3 हिस्सा, ग्राम मालोनी की खसरा नम्बर 252/256 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि में 1/3 हिस्सा तथा ग्राम बिलेन्डी की खसरा नम्बर 365 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 366 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 368 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि में 1/3 हिस्सा वादी का दर्ज होना अंकित किया है और इसी आधार पर सहायता मांगी गयी है। इससे अधिक की भूमि वादी रेस्पोडेंट प्राप्त नहीं कर सकता। इसके विपरीत अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय में संशोधन किये बिना संशोधित प्राथमिक डिक्री में ग्राम सुखनेरी में 1/8 ग्राम आंचलपुरा में 1/2 ग्राम मालोनी में 1/3 व ग्राम बिलेन्डी में 1/2 हिस्से की भूमि वादी के हिस्से में देने हेतु पारित कर दी, जिसके आधार पर फाईनल डिक्री पारित कर दी, जो पूर्ण रूप से गलत है। इस संबंध में मूल निर्णय को संशोधित नहीं किया गया है इस कारण संशोधित प्राथमिक

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

व फाईनल डिक्री अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में वादी ने जो धारा 152 जा0 दी0 का प्रार्थना पत्र पेश किया था वह वाद पत्र में अंकित तथ्यों, सहायता व निर्णय के विपरीत था। यदि कोई हिस्सा निर्णय अथवा डिक्री में गलत दर्ज किया गया है तो वादी रेस्पोडेंट को वाद पत्र को संशोधित कराना चाहिए था अथवा वाद के निर्णय को संशोधित कराना चाहिए था बिना निर्णय संशोधन कराये अधीनस्थ न्यायालय ने संशोधित प्राथमिक डिक्री व फाईनल डिक्री पारित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि जो भूमि नक्शे में वादी को दी गई, भूमि दिखायी गई है वह भूमि प्रतिवादी अपीलांट के कब्जे की भूमि है जिस पर प्रतिवादी अपीलांट का कब्जा चला आ रहा है। प्रस्तावित रिर्पोट जारी करने से पूर्व अन्य खातेदारान रेस्पोडेंट को नहीं सुना गया। इस कारण भी फाईनल डिक्री निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि वाद खारिज होने के बाद वाद को पुनः नम्बर पर लिया गया है उसके बाद प्रतिवादीगण को सुनवायी का अवसर दिया जाना चाहिए था व सम्मन जारी करना चाहिए था, किन्तु सम्मन जारी न कर वाद को पुनः नम्बर पर लेकर एक तरफा कार्यवाही कर वाद डिक्री करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय को वाद का निर्णय व संशोधित विभाजन की डिक्री पारित करने से पूर्व मौके की, कब्जे की रिपोर्ट तलब करना चाहिए था, जो नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि के सिद्धांत के आधार पर कब्जे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए फाईनल डिक्री जारी न कर मनमाने तरीके से वादी की मिली भगत से बनायी गयी विभाजन रिपोर्ट के आधार पर बनायी गई संशोधित प्राथमिक डिक्री व फाईनल डिक्री अपास्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 16.08.2001 व संशोधित प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.06.2002 एवं अतिम

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डिक्री दिनांक 20.09.2007 अपास्त की जावे तथा भूमि के मौका व रिकार्ड की पूर्व की यथास्थिति कायम रखी जाकर प्रकरण को सुनवायी हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की जावे ।

दोनों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 12.08.2018 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.08.2001 व संशोधित प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 12.06.2002 एवं फाईनल डिक्री दिनांक 20.09.2007 विधि न्याय एवं संचिका में प्राप्त सिद्धी के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट नं. 1 के वाद के निर्णय दिनांक 16.08.2001 के अनुसार व वाद पत्र में चाही गयी प्रार्थना के अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी की गयी किन्तु बाद में धारा 152 जा0 दी0 के अनुसार पेश होने पर निर्णय संशोधित नहीं संशोधित प्राथमिक डिक्री पारित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने मौके का निरीक्षण पक्षकारों की उपस्थिति में कराये बिना व कब्जे की रिपोर्ट प्राप्त किये बिना ही सरसरी तौर पर गलत रूप से जारी संशोधित प्राथमिक डिक्री के आधार पर विभाजन प्रस्ताव मंगवा कर बिना पक्षकारों को सुने सरसरी तौर पर प्राथमिक व फाईनल डिक्री जारी करने में कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि वादी ने वाद पत्र को व निर्णय को संशोधन करवाये बिना ही वाद व निर्णय के विपरीत संशोधित प्राथमिक

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री जारी करवा ली, जो अवैध है। वादी ने अपने वाद पत्र में ग्राम सुखनरी में खसरा नम्बर 11 रकबा 10 बीघा 3 बिस्वा व खसरा नम्बर 173 रकबा 5 बिस्वा भूमि व खसरा नम्बर 79 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा भूमि में 1/4 में से 1/3 हिस्सा, ग्राम आंचलपुरा की खसरा नम्बर 3 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा भूमि में 1/3 हिस्सा, ग्राम मालोनी की खसरा नम्बर 252/256 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि में 1/3 हिस्सा तथा ग्राम बिलेन्डी की खसरा नम्बर 365 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 366 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 368 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि में 1/3 हिस्सा वादी का दर्ज होना अंकित किया है और इसी आधार पर सहायता मांगी गयी है। इससे अधिक की भूमि वादी रेस्पोडेंट प्राप्त नहीं कर सकता। इसके विपरीत अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय में संशोधन किये बिना संशोधित प्राथमिक डिक्री में ग्राम सुखनेरी में 1/8 ग्राम आंचलपुरा में 1/2 ग्राम मालोनी में 1/3 व ग्राम बिलेन्डी में 1/2 हिस्से की भूमि वादी के हिस्से में देने हेतु पारित कर दी, जिसके आधार पर फाईनल डिक्री पारित कर दी, जो पूर्ण रूप से गलत है। इस संबंध में मूल निर्णय को संशोधित नहीं किया गया है इस कारण संशोधित प्राथमिक व फाईनल डिक्री अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में वादी ने जो धारा 152 जा0 दी0 का प्रार्थना पत्र पेश किया था वह वाद पत्र में अंकित तथ्यों, सहायता व निर्णय के विपरीत था। यदि कोई हिस्सा निर्णय अथवा डिक्री में गलत दर्ज किया गया है तो वादी रेस्पोडेंट को वाद पत्र को संशोधित कराना चाहिए था अथवा वाद के निर्णय को संशोधित कराना चाहिए था बिना निर्णय संशोधन कराये अधीनस्थ न्यायालय ने संशोधित प्राथमिक डिक्री व फाईनल डिक्री पारित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि जो भूमि नक्शे में वादी को दी गई भूमि दिखायी गई है वह भूमि प्रतिवादी अपीलांट के कब्जे की भूमि है जिस पर प्रतिवादी अपीलांट का कब्जा चला आ रहा है। प्रस्तावित रिपोर्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी * कोटा *

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टैनो (पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

जारी करने से पूर्व अन्य खातेदारान रेस्पोडेंट को नहीं सुना गया। इस कारण भी पारित फाईनल डिक्री निरस्त होने योग्य है। धारा 152 सी पी सी में गणीतीय व लिपिकीय गलती को निर्णय डिक्री में संशोधित करने का भी विवेकाधीन शक्ति न्यायालय को प्राप्त नहीं है बल्कि आदेश 6 नियम 17 सी पी सी का प्रावधान आज्ञापक प्रावधान है जिसका अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जानबूझकर उल्लंघन किया गया है। इस प्रकार से पक्षपात पूर्ण प्रकिया से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गैर अपील निर्णय पारित किया गया है वह न्यायहित में निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 16.08.2001 एवं संशोधित प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.06.2002 एवं अतिम डिक्री दिनांक 20.09.2007 अपास्त की जावे तथा भूमि के मौका व रिकार्ड की पूर्व की यथास्थिति कायम रखी जाकर प्रकरण को सुनवायी हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की जावे । अपने पक्ष के समर्थन में आर आर टी 2011 (2) पेज 789 उद्धरत की।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । दोनों अपीलें अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजी के बाबत् निर्णय प्राथमिक डिक्री दिनांक 16.08.2001 व संशोधित प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.06.2002 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 20.09.2007 को पारित किया गया है और अपीलांट बिरधीलाल आत्मज किशनलाल, जाति धाकड, निवासी सुखनेरी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां द्वारा न्यायालय हाजा में दिनांक 05.09.2018 को अपील पेश की गई, जो लगभग 11 साल मियाद बाहर पेश की गई है। इस प्रकार अपीलांट बिरधी लाल ने मियाद के सम्बन्ध में एक–एक दिन के डिले को साबित नहीं किया है, जबकि मियाद के बिन्दु पर एक–एक दिन के डिले को साबित किया जाना चाहिए था। अपीलांट द्वारा डिले के सम्बन्ध में किसी प्रकार की साक्ष्य अथवा दस्तावेज पेश नहीं किये हैं और ना ही कोई पर्याप्त

रमेश बहादुर सिंह पा
स्टेनो–(पी. ए.)
भू-प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

कारण अवगत करवाये हैं। ऐसी स्थिति में यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अतः दोनों अपीले सारहीन होने से खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले अपील संख्या 184/2018 एवं 185/2018 अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्राथमिक डिकी दिनांक 16.08.2001 एवं संशोधित प्राथमिक डिकी दिनांक 12.06.2002 एवं अतिम डिकी दिनांक 20.09.2007 यथावत रखे जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

21/11/2022
(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पा.
स्टेनो-(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

अपील संख्या 184 / 2018

बिरधीलाल आत्मज किशनलाल, जाति धाकड़, निवासी सुखनेरी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

..... **अपीलांट**

1– रमेश आत्मज भंवरलाल, जाति धाकड़, निवासी सुखनेरी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां हाल निवासी पुलिस चौकी के पास छावनी, कोटा

2– बद्रीबाई बेवा भंवरलाल, नाता पत्नी हीरालाल, जाति धाकड़, निवासी रानीपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

3– माधोलाल आत्मज किशनलाल, जाति धाकड़, निवासी सुखनेरी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

4– भंवरी बेवा पन्नी, जाति धाकड़, निवासी सुखनेरी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

5– प्रताप आत्मज सालगराम, जाति धाकड़, निवासी सुखनेरी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

6– रामनारायण आत्मज रामचन्द्र, जाति धाकड़

7– मुस0 पारा बेवा रामचन्द्र नाता पत्नी मथुरालाल, जाति धाकड़, निवासीगण पनवाड, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

8– बाला आत्मज नारायण, जाति धाकड़, निवासी सुखनेरी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

9– रामचन्द्र आत्मज जयलाल, जाति धाकड़, निवासी सुखनेरी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

10– भीमराज आत्मज जयलाल, जाति धाकड़, निवासी सुखनेरी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

11– दी स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार छीपाबडोद, जिला बारां

.... **रेस्पोडेंट**

बनाम

अपील संख्या 185 / 2018

बिरधीलाल आत्मज किशनलाल, जाति धाकड़, निवासी सुखनेरी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

..... **अपीलांट**

1– रमेश आत्मज भंवरलाल, जाति धाकड़, निवासी सुखनेरी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां हाल निवासी पुलिस चौकी के पास छावनी, कोटा

2– बद्रीबाई बेवा भंवरलाल, नाता पत्नी हीरालाल, जाति धाकड़, निवासी रानीपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

3– माधोलाल आत्मज किशनलाल, जाति धाकड़, निवासी सुखनेरी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

4– भंवरी बेवा पन्ना, जाति धाकड़, निवासी सुखनेरी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

5– प्रताप आत्मज सालगराम, जाति धाकड़, निवासी सुखनेरी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

6– रामनारायण आत्मज रामचन्द्र, जाति धाकड

7– मुस0 पारां बेवा रामचन्द्र नाता पत्नी मथुरालाल, जाति धाकड़, निवासीगण पनवाड, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

8– बाला आत्मज नारायण, जाति धाकड़, निवासी सुखनेरी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

9– रामचन्द्र आत्मज जयलाल, जाति धाकड़, निवासी सुखनेरी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

10– भीमराज आत्मज जयलाल, जाति धाकड़, निवासी सुखनेरी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

11– दी स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार छीपाबडोद, जिला बारां

.... **रेस्पोडेंट**

अपील नं. **184 / 2018 व 185 / 2018**
मु.द.नं **32 / 2001**

एवं नाराजगी डिकी अदालत –**उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा**
निर्णय एवं प्रारम्भिक डिकी दिनांक **16.08.2001** एवं
संशोधित प्राथमिक डिकी दिनांक **12.06.2002**
अन्तिम डिक्री **20.09.2007**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 09 माह 11 सन् 2022

हाजरी **श्री अमृत मीणा** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट की ओर से, अनुपस्थित **श्री रामेश्वर प्रसाद गोयल** अभिभाषक रेस्पोडेंट नं 2 एवं शेष रेस्पोंडेंटगण अनुपस्थित
समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

दोनों अपीले अपील संख्या 184/2018 एवं 185/2018 अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्राथमिक डिकी दिनांक 16.08.2001 एवं संशोधित प्राथमिक डिकी दिनांक 12.06.2002 एवं अतिम डिकी दिनांक 20.09.2007 यथावत रखे जाते हैं।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 21 माह 11 सन् 2022 को जारी किया गया ।

21/11/2022
(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)

मोहर